

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण
फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा लीपा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (पत्त.)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा धीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 39 / 2024

उपवान

1 किशन लाल पुत्र श्री गगाराम नि० नया बोरखड़ा तह० पुरडा जिला भीलवाड़ा(राज)

—प्रार्थी

मनाम

- 1 देवा पुत्र श्री गैरू कुमावत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 2 मोहन पुत्र श्री गैरू कुमावत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 3 ओमप्रकाश पुत्र श्री दुर्गाशंकर नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 4 श्याम लाल पुत्र श्री दुर्गाशंकर नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 5 भदन लाल पुत्र श्री गणेश नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 6 महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोती सिंह नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 7 उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोती सिंह राजपूत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 8 नारायण सिंह पुत्र श्री मोती सिंह राजपूत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 9 पुष्येन्द्र पुत्र श्री जटाशंकर नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 10 योगेश पुत्र श्री जटाशंकर नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 11 जितेन्द्र पुत्र श्री आँकार नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 12 संजय कुमार पुत्र श्री आँकार नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 13 कैलाश चन्द्र पुत्र श्री दामोदर नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
- 14 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी को ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 20.03.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 82 की आ.न. 553 रकबा 0.5690है०, आ.न. 554 रकबा 0.0379है०, आ.न. 555 रकबा 0.5944है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26.04.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 03 व 05 से 13 से बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 04 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 04 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 04 का नाम छिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 82 की आ.न. 553 रकबा 0.5690है०, आ.न. 554 रकबा 0.0379है०, आ.न. 555 रकबा 0.5944है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी राजस्थान लेण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर पीसा 500/-रू० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करे।

अधिकार